संख्या- 12 /2016/361(2)/35-1-2016-6/8(5)/2015

प्रेषक,

राम रेखा पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
राज्य नियोजन , ,
राज्य नियोजन संस्थान,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 *लखनऊ: दिनांक: 12 अप्रैल, 2016*

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2015, दिनांक 22 मार्च, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक- ''3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-आयोजनेत्तर-092-अन्य कार्यालय-03-राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग)'' अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में **रू0 50,00,000/- (रूपये पचास लाख मात्र)**, जिसका विवरण निम्नवत है:-

(हजार रूपये में)

क्र0 सं0	कोड नं0	मद का नाम	वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु कुल स्वीकृत धनराशि
1	12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	700
2	46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	4174
3	47	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	126
		योग	**5000**

को मदों के समक्ष अंकित धनराशि-सीमा सहित वचनबद्ध एवं आवश्यक व्ययो को वहन करने हेतु आपके निस्तारण पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। य़द्यपि धनराशि पूरे वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए स्वीकृत की जा रही है परन्तु स्वीकृत की जा रही धनराशि में से प्रत्येक त्रैमास के लिए यथास्थिति एवं यथासंभव समानुपातिक आधार पर ही धनराशि आहरित की जाय।

2- राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग) के अन्तर्गत (जनशक्ति नियोजन प्रभाग, क्षेत्रीय नियेाजन प्रभाग, दीर्घकालीन योजना प्रभाग, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग तथा योजना मानीटरिंग एवं कास्ट मैनेजमेन्ट प्रभाग) तथा महानिदेशक कार्यालय के मध्य संलग्नक में उल्लिखित मदों में प्राविधानित कुल धनराशि का वितरण नियमानुसार आवंटित किया जाय।

3- वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित मदों के

2/-

http://shanmadesh.nic.in

समक्ष अंकित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय तथा व्यय की जिन-जिन मदों के संबंध में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका या अन्य प्राविधानों के अनुसार शासन के आदेशों की आवश्यकता हो, वहाँ व्यय करने से पूर्व प्रत्येक दशा में शासन की पूर्वानुमति/स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

4- गैर-वेतन मदों के अन्तर्गत व्यय करते समय मितव्ययिता पर विशेष ध्यान रखा जाय तथा वस्तुओं के क्रय करते समय उत्तर प्रदेश स्टोर परचेज रूल्स एवं शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 40 के लेखाशीर्षक- ''3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें-आयोजनेत्तर-092-अन्य कार्यालय-03-राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग)'' के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, इलाहाबाद, उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यता कराया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन अनुभाग-1 को प्रेषित किया जायेगा।

भवदीय,

(राम रेखा पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

सख्या- 12/2016/361(3)/35-1-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- (क) निदेशक, दीर्घकालीन योजना प्रभाग।
   (ख) निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग।
   (ग) निदेशक, क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग।
   (घ) निदेशक, योजना मानीटरिंग एवं कास्ट मैनेजमेन्ट प्रभाग।
   (ड) निदेशक, जनशक्ति नियोजन प्रभाग।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम रेखा पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।